पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

पावरग्रिड

CIN No.L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-III क्षेत्रीय मुख्यालय : Northern Region-III Regional Head Quarter
कार्यालय : 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.) : दूरभाष : 0522-2205155 ई-मेल : rhq.nr3@powergrid.co.in
Office : 12, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226 001 (U.P.) : Tel : 0522-2205155 E-Mail : rhq.nr3@powergrid.co.in

सन्दर्भ संख्या / Ref. No. :
संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/ दिनांक: 30.04.2018

सेवा में,
श्री अली रेहान
मकान न. 656/1, वसीयाबाद
इलाहाबाद, उ० प्र०
पिन कोड़-211003

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 21.04.2018 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र.दिनांक 21.04.2018, पावरग्रिड, इलाहाबाद के माध्यम से पावरग्रिड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 25.04.2018 को प्राप्त हुआ है । इस सन्दर्भ में मांगी गई बिन्दुवार जानकारी निम्नवत है :-

मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
1. इलाहाबाद से कानपुर को जाने वाली सारंगपुर ट्रांसमिशन लाइन जो ग्राम- जोधवल, पोस्ट-मदारीपुर बिसौना, तहसील-सदर, इलाहाबाद में 400 के०वी० लाइन खींचने के लिये लगाये गये टावर क्रमांक-8/2 किस आराजी पर लगा है ?	टावर संख्या 8/2 ग्राम-जोधवल पोस्ट-मदारीपुर बिसौना तहसील-सदर, इलाहाबाद में स्थित नहीं है।
2. उक्त ट्रांसमिशन लाइन के नीचे या उसके आस-पास कितने एरिया/क्षेत्रफल में कोई निर्माण या कृषि नहीं की जा सकती है ?	उक्त ट्रांसमिशन लाइन के लिये 46 मीटर कोरिडोर (मध्य से 23 मीटर एक तरफ एवं 23 मीटर दूसरी तरफ) "राइट ऑफ वे (ROW)" हेतु निर्धारित है। हालांकि इस कोरीडोर में कृषि कार्य किया जा सकता है।
3. इला० से कानपुर को जाने वाली सारंगपुर 400 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन जो ग्राम-जोधवल पोस्ट-मदारीपुर बिसौना तहसील-सदर, इलाहाबाद से होकर गुजर रही है की पारेषण लाइन खींचने के लिए निजी भू स्वामीयों के खेतों में लगाये गये टावरों के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना प्रकाशित/जारी की गयी थी ?	हाई टेंशन लाइनों की स्थापना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, खंड-3 धारा 10 सहपठित भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 धारा 164 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों के आधार पर की जाती है तथा प्रभावित किसानों/भूमि स्वामीयों को, फसल, पेड़ इत्यादि की क्षति हेतु नोटिस जारी किया जाता है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री अतुल त्रिवेदी
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ0 क्षे0 – 3
12 राणा प्रताप मार्ग
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल
लखनऊ – 226001

धन्यवाद,

भवदीय,
30/04/18
[कैलाश कुमार गुप्ता]
उप महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ